न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमती लीलु पत्नि अणदा जी जाति- कोली, निवासी- पीपलीया, तहसील- रेवदर
2. श्रीमती नेनू देवी पुत्री अणदा जी पत्नि प्रतापराम जी, जाति- कोली, निवासी- पीपलीया, हाल निवासी- दौलपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. श्रीमती जमना पुत्री अणदा जी पत्नि उमा जी, जाति- कोली, निवासी- पीपलीया, हाल निवासी- होलागरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
4. श्रीमती सुगना पुत्री अणदा जी पत्नि प्रभू जी, जाति- कोली, निवासी- पीपलीया, हाल निवासी- बडेची, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्रीमति लक्ष्मी पत्नि कालाजी, जाति-कोली, निवासी-पीपलीया, तह.- रेवदर
3. श्री राजकुमार पुत्र कालाजी, जाति-कोली, निवासी-पीपलीया, तह.- रेवदर (नाबालिग)
4. श्री विशनाराम पुत्र कालाजी, जाति-कोली, निवासी-पीपलीया, तह.- रेवदर (नाबालिग)
5. संगीता पुत्री कालाजी, जाति-कोली, निवासी-पीपलीया, तहसील- रेवदर (नाबालिग)
6. भावना पुत्री कालाजी, जाति- कोली, निवासी- पीपलीया, तहसील- रेवदर (नाबालिग)
   प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 (नाबालिग की कुदरती वली माता)
   श्रीमती लक्ष्मी पत्नि कालाजी, जाति-कोली, निवासी-पीपलीया, तह.- रेवदर
7. गीता पुत्री कालाजी, जाति- कोली, निवासी- पीपलीया, तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही
8. श्रीमती कान्ता देवी पत्नि सोमाजी, जाति- कोली, निवासी- पीपलीयां, तहसील- रेवदर
9. श्रीमती सोनी देवी पत्नि गणेश जी, जाति- कोली, निवासी- पीपलियां, तहसील-रेवदर
10. श्री शंकरलाल पुत्र कालुराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- दत्ताणी, तहसील- रेवदर
11. श्री भारताराम पुत्र आलाराम जी, जाति- कोली, निवासी- दौलपुरा, तहसील- रेवदर

राजस्व अपील संख्या: 117/2016

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 1 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव, प्रत्यर्थी संख्या- 10 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 04 अक्टूम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम पिपलीया, पटवार हल्का दत्ताणी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है। ....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पेराकार सरकार उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 व 11 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी संख्या-1 के पति व अपीलार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता अणदा पुत्र भला जी कोली की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पिपलीया, पटवार हल्का दत्ताणी के खसरा संख्या 119 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 123 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के पति/पिता अणदा पुत्र भला जी कोली, निवासी- पीपलिया के खातेदारी कब्जे काश्त की थी। अपीलार्थी संख्या-1 के पति व अपीलार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता अणदा पुत्र भला जी की मृत्यु दिनांक 16.2.2001 को हो जाने से उनकी मृत्यु के बाद पेढी पत्रक अनुसार स्वर्गीय अणदा पुत्र भला जी के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण लीलु (पत्नि), नैनु (पुत्री), जमना (पुत्री), सुगना (पुत्री) एवं पुत्र कालुराम (फौत) के विधिक वारिसान प्रत्यर्थीगण लक्ष्मी देवी पत्नि कालाराम, राजकुमार, विशनाराम, गीता, संगीता व भावना है जो सभी जीवित है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या-2 जो कि स्वर्गीय अणदा जी पुत्र भला जी कोली की पुत्रवधु एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 पौत्र व पौत्रियां है। यह कि अणदा पुत्र भला जी कोली की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण व अणदा पुत्र भला जी के पुत्र कालाराम के नाम दर्ज करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों ने अणदा पुत्र भलाजी कोली की पत्नि व पुत्रीया के जीवित होते हुए भी उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 93 को कालाराम पुत्र अणदा जी कोली के नाम से ही दर्ज किया गया जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 19.10.2001 को स्वीकृत किया गया है, वह विधि सम्मत नही है। विधि अनुसार उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अणदा पुत्र भला जी के सभी जीवित उत्तराधिकारियों के पक्ष में उनके हक हिस्से अनुसार दायर कर निर्णित करना चाहिये था। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति व प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 7 के पिता कालाराम पुत्र अणदा जी ने राजस्व कार्मिकों से मेल मिलाप कर अणदा पुत्र भला जी की पत्नि लीलु की जगह गलत नाम सुगना बताकर सुगना को फौत होना बताया व पुत्रीया नैना, सुगना व जमना के जीवित होते हुए भी अणदा जी के पुत्री नही होना बताते हुए अकेले कालाराम ने स्वयं के नाम से ही नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। जबकि अणदा पुत्र भला जी की पत्नि लीलु व पुत्रीयां नैना, सुगना व जमना जीवित है। अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों ने भी अणदा पुत्र भला जी कोली के उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच किये बिना ही कालाराम पुत्र अणदा कोली के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने में कानूनन भूल की है। यह कि स्वर्गीय अणदा पुत्र भला जी कोली की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण कालाराम पुत्र अणदा जी के नाम से दर्ज होने के कारण कालाराम पुत्र अणदा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या

....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

176 दिनांक 15.2.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है जो विधि सम्मत नही होने से अवैध व शून्य है तथा इसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 को कोई हक अधिकर पैदा नही होते है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या- 2 से 7 के पति/पिता काला पुत्र अणदा जी कोली ने खसरा संख्या 119 में से रकबा 3.03 बीघा भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 को एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 ने उक्त खसरा संख्या 119 में से रकबा 1.13 बीघा भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या-10 को किया गया है व खसरा संख्या 123 में से रकबा 2 बीघा भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या-11 को किया गया है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 के पति/पिता काला पुत्र अणदा जी को उक्त भूमि के बेचान करने का कोई हक अधिकार नही था, क्योंकि उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 के पति/पिता काला पुत्र अणदा जी कोली व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर पैतृक सम्पति थी जो अपीलार्थीगण के पति/पिता अणदा जी पुत्र भला जी की कोली की सम्पति थी तथा उक्त सम्पति में अपीलार्थीगण का भी हक हिस्सा कानूनन बनता था। अत: अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के हक हिस्से अनुसार पुन: नियमानुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया गया कि हल्का पटवारी, दत्ताणी द्वारा स्वर्गीय अणदा पुत्र भला जी कोली की मृत्यु के बाद उनके खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को प्रशासन गांव के संग अभियान में दायर किया गया जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 19.10.2001 को स्वीकृत किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या-10 ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 7 के पति कालाराम पुत्र अणदा जी द्वारा खसरा संख्या 119 में रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का बेचान पंजीकृत दस्तावेज से प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 को किया गया है व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 7 ने खसरा संख्या 119 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का बेचान पंजीकृत दस्तावेज से प्रत्यर्थी संख्या- 10 को कर मौके पर कब्जा सुपर्द किया है, तब से क्रेतागण प्रत्यर्थी संख्या 8 से 10 खसरा संख्या 119 की उक्त क्रयशुदा भूमि में अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर अब अपीलार्थीगण या प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 का कब्जा-काश्त नही है। प्रत्यर्थी संख्या- 10 ने पूरी कीमत अदा कर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 से पंजीकृत बेचान दस्तावेज से क्रय की है तथा जब तक पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया जाता है, तब तक अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 10 द्वारा क्रयशुदा भूमि के संबंध में कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। यह कि नामान्तरकरण एक फिजकल प्रोसेडिंग है जिसके जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है, इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर ही राहत प्राप्त की जा सकती है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पिपलीया, पटवार हल्का दत्ताणी के खसरा संख्या 119 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म ब II व

....पेज चार पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

खसरा संख्या 123 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म ब II बीघा भूमि के खातेदार अणदा पुत्र भला जी कोली, निवासी- पीपलियां की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी, दत्ताणी द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण 93 दिनांक 19.10.2001 को कालाराम पुत्र अणदा जी कोली, निवासी- पीपलियां के पक्ष में दायर किया गया जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 19.10.2001 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.6.2016 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि ''अपीलार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण इस विश्वास में रही कि उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ होगा, लेकिन अपीलार्थीगण के पुत्र/भाई श्री कालाराम ने राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अकेले के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है, जबकि अपीलार्थीगण आज भी जीवित है एवं अणदा जी की वैध उत्तराधिकारी है। अपीलार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने की प्रथम बार जानकारी दिनांक 11.5.2016 को हुई जब अपीलार्थी नेनूदेवी अपने पति के साथ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गई। तब नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति की महिलायें है जिन्हें पढ़ना लिखना नही आता है एवं अपीलार्थीगण अपने पुत्र/भाई के विश्वास में रहे। इस कारण से पूर्व में नामान्तरकरण दर्ज करने की जानकारी नही हो सकी, इसलिये विलम्ब की अवधि क्षमा योग्य है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार अणदा जी पुत्र भला जी, जाति- कोली, निवासी- पिपलीया की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही होने की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व से रही हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया है एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की अपीलार्थीगण उत्तराधिकारी है, जो अपने पति/पिता अणदा जी पुत्र भला जी कोली की सम्पति में अपने हक हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार भी हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू

....पेज पांच पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए इस अपील प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पिपलीया, पटवार हल्का दत्ताणी के खसरा संख्या 119 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 123 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार अणदा पुत्र भला जी कोली, निवासी- पीपलियां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को कालाराम पुत्र अणदा जी कोली, निवासी- पीपलियां के पक्ष में तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण भी अणदा पुत्र भला जी कोली, निवासी- पिपलीयां की पत्नि व पुत्रियां है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से अपने पति/पिता की सम्पति में अपने हक हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार भी यदि किसी हिन्दू खातेदार की निर्वसीयत मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरंकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को मृतक खातेदार अणदा पुत्र भला जी कोली, निवासी- पिपलियां के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम पिपलीया, पटवार हल्का दत्ताणी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 93 दिनांक 19.10.2001 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार श्री अणदा पुत्र भला जी कोली, निवासी- पीपलियां के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच कर पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.13 13:17:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: